ISSN 2395-051X

मिन्टो हॉल (विधानसभा भवन) में प्रथम दिवस

डॉ. नवीन गिडियन
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष - इतिहास विभाग
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश

राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के उपरान्त देश के राज्यों का गुनर्गठन किया गया। परिणामस्वरूप एक नवम्बर 1956 को नया मध्यप्रदेश बना। वर्तमान मध्यप्रेदश जिसका गठन चार प्रशासनिक इकाइयों - मध्यप्रांत, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल के विलीनीकरण का प्रतिफल है। भोपाल रियासत का मिन्टो हॉल, जिसकी आधारशिला 12 नवम्बर 1909 को गवर्नर जनरल लार्ड मिन्टो ने रखी थी, ऐतिहासिक घटनाचक्र का चश्मदीद गवाह है। मिंटो हॉल में 31 अक्टूबर 1956 की मध्यरात्रि के बाद अर्थात एक नवम्बर की पहली घड़ी में मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉ. पट्टाभि सीतरमैया और प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल और उनके मंत्रिमंडल की शपथ विधि सम्पन्न हुई।

मुख्य शब्द - मिंटो हॉल, मध्यप्रदेश, विधानसभा, मध्यप्रांत ।

भारत के स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत में कुल 563 देशी रियासतें थीं, जिनका कुल रकबा 712,000 वर्गमील और आबादी, 1931 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ 10 लाख अर्थात कुल आबादी की 24 प्रतिशत थी। इन रियासतों का आकार भिन्न-भिन्न था। एक तरफ हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत थी तो दूसरी तरफ लाबा जैसी छोटी रियासतें भी थीं। यह उल्लेखनीय है कि इन 563 रियासतों में से 108 रियासतें बड़ी थीं जिनके शासक नरेन्द्र मण्डल के सदस्य थे। वहीं 127 छोटी रियासतें थीं जिनके शासक अपने बारह प्रतिनिधि चुनकर नरेन्द्र मण्डल में भेजते थे। शेष 328 रियासतें एक तरह की जमीनदारियाँ थीं जिनको कुछ सीमित सामंती अधिकार प्राप्त थे।[1]

वर्तमान मध्यप्रदेश जिसका गठन एक नवम्वर, 1956 को किया गया, चार अलग प्रशासनिक इकाइयों - मध्यप्रांत, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल के विलीनीकरण का प्रतिफल है। अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण यह भू-भाग उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक धाराओं का सागर बना रहा। किसी भी देश का भूगोल उसके इतिहास की आधारशिला होता है। उत्तर तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थापित विशाल साम्राज्यों का प्रभाव मध्यप्रदेश पर सदा छाया रहा है। अपनी स्थिति के कारण यह भू-भाग विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोनेवाला संगम स्थल बना रहा।[2]

राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के उपरान्त देश के राज्यों का गुनर्गठन किया

गया। परिणामस्वरूप एक नवम्बर 1956 को नया मध्यप्रदेश बना। इसका निर्माण 43 जिलों को मिलाकर किया गया जिनमें महाकौशल के 17 जिले, मध्यभारत के 16 जिले, विन्ध्यप्रदेश के 8 जिले, भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज सब-डिवीजन भी शामिल था। पं. रविशंकर शुक्ल नये मध्यप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और डा. पट्टाभि सीतारमैया प्रथम राज्यपाल बने।[3] आठवें दशक में दो और 1997 में 16 नये जिले बनाए गए। इस तरह जिलों की कुल संख्या 61 हो गई। एक नवम्बर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने पर मध्यप्रदेश में 45 जिले शेष रहे और 16 जिले नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में चले गये। आज छत्तीसगढ़ में 05 संभाग एवं 28 जिले हैं जबकि वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 10 संभाग एवं 52 जिले हैं।

1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधान सभा का चयन भी कर लिया गया। भोपाल को प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया। अभी भोपाल को जिले का दर्जा नहीं दिया गया था और भोपाल के स्थान पर सीहोर को जिला बनाया गया[4] और 1972 में भोपाल को जिले का दर्जा प्रदान किया गया।

मिन्टो हॉल में प्रथम दिवस

भोपाल रियासत का मिन्टो हॉल, जिसकी आधारशिला 12 नवम्बर 1909 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिन्टो ने रखी थी, ऐतिहासिक घटनाचक्र का चश्मदीद गवाह है। 1946 से 1956 तक इस आलीशान भवन में इंटर कॉलेज लगता रहा जिसे वर्तमान मे हमीदिया महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मिंटो हॉल में 31 अक्टूबर 1956 की मध्यरात्रि के बाद अर्थात एक नवम्बर की पहली घड़ी में मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉ. पट्टाभि सीतरमैया और प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल और उनके मंत्रिमंडल की शपथ विधि सम्पन्न हुई। 17 दिसम्बर 1956 को, सर्दी के असर को कम करने की कोशिश में जुटी सूरज की की किरणों के बीच, ठीक 11 बजे इसी मिंटो हॉल में एक खनकदार आवाज गूंजती है - ''माननीय सदस्य गण, माननीय सभापति महोदय'' यह आवाज विधानसभा के मार्शल कैप्टन रन्नोर की थी, जो सावधान की मुद्रा में विधानसभा के सदस्यों और दर्शक दीर्घाओं को सावधान कर रहे थे। उनकी उद्घोषणा पूरी होते ही अध्यक्षीय आसन की पृष्ठभूमि में स्थित प्रवेश द्वार खुलता है। मध्यप्रदेश की समवेत विधानसभा के मनोनीत सभापति काशीप्रसाद पाण्डे प्रवेश करते हैं। उनके सम्मान में पूरा सदन उठकर खड़ा हो जाता है। सभापति हल्के से सिर झुकाकर सदन द्वारा अभिव्यक्त सम्मान का प्रत्युत्तर देते हैं और सभी आसन ग्रहण करते हैं।

सभापति काशीप्रसाद पाण्डे सदन को सूचित करते हैं - ''माननीय सदस्यो, विधानसभा की आज की बैठक के प्रारम्भ में सदस्यों को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए आदेश पढ़कर सुनाता हूँ''। राज्यपाल डॉ. पटाभि सीतारमैया द्वारा प्रेपित पहले आदेश में काशीप्रसाद पाण्डे को विधानसभा का सभापति नियुक्त किया गया था और दूसरे आदेश में उन्हें सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया था। दोनों आदेश पढ़ने के वाद सभापति ने कहा, ''मैंने आज सुवह साढ़े नौ वजे महामहिम राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण की है। अव सदन के नेता (मुख्यमंत्री) से आरम्भ करते हुए आसन क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य मेरे सम्मुख

आकर शपथ ग्रहण करेंगे।''[5]

ISSN 2395-051X

शपथ विधि आरम्भ होती है। इस पहली विधानसभा में मध्यप्रांत के 150, मध्यभारत के 88, विंध्यप्रदेश के 60 और भोपाल क 30 सदस्य शामिल थे। इनमें 12 महिलाएं थी। सबसे पहले पं. रविशंकर शुक्ल ने और उनके बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली। यह सिलसिला प्रारम्भिक दौर में ही था कि मध्यभारत से चुनकर आए जनसंघ के विधायक रामचंद्र विट्ठल बड़े ने व्यवस्था का सवाल उठाया और कहा कि ''जब सभी वर्तमान सदस्यगण पूर्व में ही अपनी मूल विधानसभा अर्थात् पुराने मध्यप्रदेश, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश अथवा भोपाल विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं तो दोबारा उन्हें शपथ ग्रहण क्यों दिलाई गई ? इसका संवैधानिक औचित्य क्या है ?'' श्री बड़े द्वारा उठाई गई इस आपत्ति का समर्थन प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर निरंजन सिंह ने किया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या संविधान में इस तरह की शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान है ? सभापति ने दोनों सदस्यों की आपत्ति अस्वीकार कर दी और शपथ विधि का सिलसिला आगे बढ़ा। कुछ ही सदस्य शपथ ले पाए थे कि विधायक हीरालाल शर्मा ने एक नई आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा सदस्य सभापति से हाथ मिलाता है जो अंग्रेजी तौर-तरीके की नकल है और जिसमें व्यर्थ ही अधिक समय लगता है। इसके बजाय शपथ ग्रहण के बाद सभी सदस्य नमस्कार कर लिया करें। सभापति ने इस सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शपथ विधि चलती रही। किंतु विधानसभा के सदस्यों ने सभापति से हाथ मिलाने के स्थान पर नमस्कार करना आरम्भ कर दिया। तथापि ठाकुर निरंजन सिंह ने शपथ विधि के बाद सदन के नेता पं. रविशंकर शुक्ल से हाथ मिलाया और फिर सभापति से बोले, ''मैंने सदन के नेता से हाथ मिलाया है। अब यह ठीक होगा कि आप से भी हाथ मिलाऊं'' उनकी इस उक्ति पर सदन में ठहाके लग गये।[6]

18 दिसम्बर 1956 को मध्यप्रदेश की एकीकृत विधानसभा ने सर्वसम्मति से कुंजीलाल दुबे को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया। निर्वाचन के पश्चात् उन्होंने जो वक्तव्य दिया वह आभार की अभिव्यक्ति मात्र नहीं था। अपितु नये प्रदेश के गौरव, उसकी अपरिमित संभावनाओं, सदन और सदस्यों के दायित्व तथा अध्यक्षीय आसंदी की मर्यादाओं का मर्मस्पर्शी विश्लेषण था - ''इस मध्यप्रदेश की भव्यभूमि में भिन्न-भिन्न युगों की भिन्न-भिन्न संस्कृतियों खेल करती रही हैं। इसके अतीत का गौरव भारत का गौरव रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं मानता हूँ, कि सबको भी विश्वास है, कि इसके भविष्य का गौरव भारत का गौरव बनेगा।''

''मुझे इस बात में संतोष है कि इस विधानसभा के मौनी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों की अपेक्षा इस सदन के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी गुरूतर है। राज्य के कल्याण के लिए नये कानून बनाना, उसके आय-व्यय की समीक्षा करना इत्यादि तो आपका वैधानिक कर्त्तव्य है ही, पर इस नवीन मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक गौरव ने आपकी इस जिम्मेदारी की गुरूता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। मध्यभारत, भोपाल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की संस्कृति और सम्पत्ति आज हम सब लोगों की सम्मिलित सम्पत्ति और संस्कृति है। हम उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं। कालिदास, भवभूति, राजा भोज से यह प्रदेश देदीप्यमान है। केशव

और विहारी, पद्माकर और रघुराज की काव्य माधुरी से हमारी हिन्दी मधुर बनी है। गोपाल, बैजू, तानसेन और ग्वालियर नरेश मानसिंह इनकी राग-रागिनियों से हमारे नभ और कान आज भी गुंजित और झंकृत हो रहे हैं। हमारे शिल्प और स्थापत्य के स्थल सांची, भरहुत, त्रिपुरी और महिष्मती, रत्नपुर और श्रीपुर, भोरमदेव, खजुराहो, ओरछा और धार, बस्तर, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर आज विश्व के कौतुक की वस्तुएं हैं। हमारी पुण्यभूमि सांची जहां प्रथम बार विश्वप्रेम की दीपशिखा जलाई गई थी और जिसने उस समय सारे आलोकित किया था वह आज विश्व का एक तीर्थ स्थान बन गई है।''[7]

''हमें अपने देश के भविष्य और गौरव के अनुरूप ही इस प्रदेश को बनाना है। इस नवीन प्रदेश की प्रकृति हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है। वह रत्नगर्भा है। हम, आप, सब अच्छी तरह जानते हैं कि यदि खनिज, वन और कृषित सम्पत्ति को हम ऊपर लाकर उसे इस देश की जनता के लिए लाभदायक बना सकें तो हमारे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा।''

''मैं आपको यह इत्मीनान दिलाता हूँ कि जिस समय कुर्सी पर आकर बैठता हूँ, तब प्रत्येक विधानसभा सदस्य को एक सदस्य के रूप में ही देखता हूँ। वे किस पक्ष के हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी जो बात कही गई उसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने विधानसभाओं के सभी अध्यक्षों को यह आदेश दिया है कि वे सक्रिय राजनीति में भाग न लेवें और मैं समझता हूँ कि इस सदन में बैठा हुआ एक भी माननीय सदस्य यह न कह सकेगा कि आज तक मैंने अपने कार्यकाल में, जबसे मुझे ऐसे आदेश मिले हैं, तब से राजनीति में कोई सक्रिय भाग लिया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि शुद्ध परम्परायें कायम करने के लिए वह बिलकुल स्वतंत्र रीति से अपनी व्यवस्थाएं दे और मैं सदा सद्विवेक और बुद्धि से ऐसा ही करता आया हूँ।''

विधानसभा गुरूतर दायित्व निभाने वाली प्रदेश की सर्वोच्च जन पंचायत होती है। जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि गंभीर बहस और संवाद के माध्यम से लोकमंगल का दायित्व निभाते हैं। प्रतिपक्ष आलोचना और प्रहार के तीखे आक्रमण से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का निरंतर प्रयास करता है। उसकी नीतियों और प्राथमिकताओं पर उंगली उठाता है। तात्पर्य यह कि सत्ता पक्ष को चौकस और चौकन्ना बनाये रखने का प्रयास करता है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष सदन के माध्यम से अपनी नीतियों और निर्णयों और उपलब्धियों का ब्यौरा जन-जन तक पहुंचाता है। विधेयक और बजट लाता है। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है और इस तरह जवाबदेही के बंधन से बंधा रहता है। तथापि, यह सामान्य अपेक्षा की जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुमत का बुलडोजर नहीं होती। उसमें असहमति की स्वीकार्यता और सम्मान की भी पर्याप्त गुंजाइश है और यही लोकतंत्र की सार्थकता की एक बड़ी कसौटी है।[8]

विधानसभा के सुचारू संचालन में जिस एक और भाव के समावेश का महत्व होता है। वह है व्यंग्य विनोद, हास-परिहास के अनायास आने वाले यत्किंचित क्षण सदन के वातावरण को तनावमुक्त बनाए रखने में महती भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण पहली विधानसभा की पहली बैठक में देखने को मिलता है जब एक

ISSN 2395-031X

विधानसभा सदस्य गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपने भाषण में पं. रविशंकर शुक्ल को सलाह दी - ''अब आपकी अवस्था ऐसी है कि किसी नौजवान को कार्यभार सौंपकर वानप्रस्थी बन जाएं।'' दूसरे सदस्य गुलाबचंद तामोट ने तत्काल भूल सुधार का प्रस्ताव किया - ''आप शुक्लजी के बारे में जानते नहीं है। दरअसल उनकी उम्र वानप्रस्थ में जाने की नहीं बल्कि यह वह आयु है जब मेनका द्वारा विश्वामित्र का तप भंग हुआ था।'' इस चुटकी पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। उस समय पं. रविशंकर शुक्ल कुछ पढ़ने में तल्लीन थे। उन्होंने जब अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई तो पूरा सदन में हंसी के ठहाकों से चहक उठा।' वर्तमान में मध्यप्रदेश विधान सभा का नवीन भवन निर्मित हो चुका है और भोपाल रियासत का मिन्टो हॉल, (पूर्व विधान सभा भवन) अब मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल के रूप में परिवर्तित हो चुका है।

सन्दर्भ

1. पामदत्त रंजनी : भारत वर्तमान और भावी, पहला हिन्दी संस्करण, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1956, पृष्ठ क्रमांक, 232-233
2. मध्यपव्रदेश दर्शन : आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, गवर्नमेंट रीजनल प्रेस, 1957, पृष्ठ क्रमांक, 293-303
3. Reorganisation of States the Approach and Arrangements : The Economic Weekly, 15 October, 1955
4. Statistical Report on General Election 1957 : To the Legislative Assembly of Bhopal, Election Commission of India
5. श्रीधर विजयदत्त : शह और मात, मध्यप्रदेश की राजनीति की कहानी, कर्मवीर प्रकाशन, 10, पत्रकार नगर, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल, 2004, पृष्ठ क्रमांक, 36
6. मध्यप्रदेश दर्शन : आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, गवर्नमेंट रीजनल प्रेस, 1957, पृष्ठ क्रमांक, 229
7. उपरोक्त, पृष्ठ क्रमांक, 231
8. श्रीधर विजयदत्त : उपरोक्त, पृष्ठ क्रमांक, 37
9. वही।